प्रा.र म पधार हैं । पत्रावली उनके
समक्ष दि० 07/01/25 को पेश हो।

07/01/25 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश की गई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वकील वादी उपस्थित हैं। वकील की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० मि० किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
...रोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना नं० :– 28/2024
दायर दिनांक :– 06.06.2023
निर्णय दिनांक :– 07.01.2025

उनवान

1. नरेन्द्र गर्ग पुत्र श्री जी.एल. अग्रवाल जाति गर्ग निवासी सैक्टर 52 नोयडा उत्तर प्रदेश। .....वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़। .....प्रतिवादी

दावा बाबत 88,189, आर.टी.ए एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. रोशनलाल यादव अधिवक्ता प्रार्थी।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश हेतु पेश कि गई। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी सैक्टर नम्बर 52 नोयडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा आराजी खसरा नम्बर हाल 653 रकबा २० वाके ग्राम दहमी तहसील बहरोड जिला अलवर राज. में स्थित है। जो आराजी इस वाद पत्र में विवादित आराजी मुतनाजा से सम्बोधित की जावेगी। आराजी खसरा नम्बर हाल 653 रकबा 35 एयर वाके ग्राम दहमी का 2/27 हिस्सा वादी ने व जसवन्त पुत्र मातादीन ने दिनांक 19.08. 2006 को सुरेन्द्र सिंह पुत्र जयदयाल सिंह जाति अहीर निवासी शेरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राज. से खरीद किया था जिसका इंतकाल नम्बर 760 वादी एवं जसवन्त सिंह पुत्र श्री मातादीन निवासी देवता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज. के नाम से स्वीकार किया गया है। बयनामा लिखते समय वादी के पिता का नाम बयनामा में गलती से बी.एल गर्ग लिखा गया तथा इसी अनुसार इन्तकाल नम्बर 760 दर्ज हो गया एवं जमाबन्दी में अमल बरामद हो गया। जबकि वादी के पिता का सही नाम जी.एल. गर्ग है। वर्णित आराज़ी में से कुछ ज़मीन एन. एच. आई में अवाप्त हो गई जिसका मुआवजा भी सक्षम न्यायालय में जमा हो गया है परन्तु वादी के पिता का नाम बी.एल गर्ग होने के कारण मुआवजा का भुगतान वादी को नहीं हो सका। जिस पर वादी ने दिनांक 06.09.2022 को सुरेन्द्र कुमार विकेता को बुलाकर बयनामा दिनांक 19.08. 2006 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 313 पृष्ट सं. 26 कम संख्या 2006002849 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 596 के पृष्ट संख्या 167 से 173 पर चस्पा किया जाकर उप पंजीयक महोदय बहरोड ने विकेय पत्र पंजीबद्ध किया है। जिसका शुद्धी पत्र दिनांक 06.09.2022 को करवा लिया है इसलिए मुताबिक शुद्धी पत्र दिनांक 06.09.2022 के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 653 रकबा वाके ग्राम दहमी तहसील बहरोड जिला अलवर राज में प्रार्थी के पिता का नाम बी.एल गर्ग दर्ज है जिसे कलमजन किया जाकर जिसके स्थान पर प्रार्थी के पिता का सही नाम जी.एल गर्ग दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वादी ने दिनांक 25.05.2023 को तहसीदार बहरोड से शुद्धी पत्र दिनांक 06.09.2022 के आधार पर अपने पिता का नाम बी.एल गर्ग के स्थान पर जी.एल गर्ग करने का आग्रह किया तो तहसीलदार बहरोड ने कहा कि इस प्रकार की शुद्धी सक्षम न्यायालय में दावा दायर करके ही की जा सकती है इसलिए यह वाद पत्र बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य सहखातेदारो के खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है इसलिए उन्हे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 653 वाके ग्राम दहमी तहसील बहरोड

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)